



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

PROF. KRISHNA KUMAR SINGH

कार्यकारी कुलसचिव

ACTING REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक : 008/2012-13/PVIR/113/2017/ 206

दिनांक : 04.02.2019

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठों/विभागों/छात्रावासों आदि में उपलब्ध उपभोज्य (Consumable) एवं गैर-उपभोज्य (Non-Consumable) सामग्रियों का जी.एफ.आर.-2017 के नियम 213 (1), (2) एवं (3) के अनुसार भौतिक सत्यापन किया जाना है। इस हेतु सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मियों से अपेक्षित है कि वे उनके नाम के आगे दर्शाए गए विद्यापीठों/विभागों/छात्रावासों आदि में भौतिक सत्यापन दिनांक 22.02.2019 तक पूरा करके अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में भर कर वित्ताधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें:

क्र.	अधिकारी	सहयोगी कर्मी	विभाग/विद्यापीठ/छात्रावास आदि का नाम
1.	डॉ. राजेश्वर सिंह सहायक कुलसचिव परिसर विकास विभाग	श्री वेद प्रकाश उच्च श्रेणी लिपिक भंडार एवं क्रय विभाग	कुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय सह डाक विभाग, स्थापना एवं प्रशासन विभाग सह सुरक्षा विभाग, परीक्षा विभाग, लोक सूचना कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय, भंडार एवं क्रय विभाग सह परिवहन एवं टेलिफोन कार्यालय, अकादमिक विभाग, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं अकादमिक संयोजक कार्यालय, राजभाषा विभाग, वित्त विभाग, लीला, प्रकाशन विभाग सह हिंदी समय डॉट कॉम एवं बहुवचन तथा पुस्तकवार्ता कार्यालय।
2.	डॉ. ज्योतिष पायेड सहायक कुलसचिव अकादमिक विभाग	श्री राजीव पाठक सहायक भंडार एवं क्रय विभाग	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ (अनुवाद अध्ययन विभाग), (प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग), नागार्जुन अतिथि गृह, फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, बिरसा मुण्डा छात्रावास, गोरख पाण्डेय छात्रावास, भगत सिंह छात्रावास, सुखदेव छात्रावास, सावित्री बाई फुले छात्रावास सह नया कन्या छात्रावास, चिकित्सा विभाग, शिशु विहार, शोध सहायता प्रकोष्ठ, पर्यावरण क्लब, शिक्षक संघ कार्यालय, फैकल्टी एण्ड ऑफिसर्स क्लब, हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र, दूर शिक्षा निदेशालय, सामुदायिक महाविद्यालय, कर्मचारी सहकारी साख संस्था एवं केंद्रीय विद्यालय।
3.	श्री विनोद वैद्य सहायक कुलसचिव दूर शिक्षा निदेशालय	श्री सचिन कुंबलवार सहायक (आउटसोर्सिंग) भंडार एवं क्रय विभाग	परिसर विकास विभाग, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध प्रकोष्ठ, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ (म.गां.पयूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र), (मानवविज्ञान विभाग), (जनसंचार विभाग), शिक्षा विद्यापीठ (शिक्षा विभाग), (मनोविज्ञान विभाग), प्रबंधन विद्यापीठ (वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग), कुलानुशासक कार्यालय, स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय सह अभिलेखागार, महापंडित रा.सां. केंद्रीय पुस्तकालय (पुस्तकें छोड़ कर), खेल अनुभाग।

कृ.पू.उ.

4.	श्री कमल शर्मा अनुभाग अधिकारी वित्त विभाग	श्री मुकेश कुमार सहायक (आउटसोर्सिंग) भंडार एवं क्रय विभाग	भाषा विद्यापीठ (भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग), (आनंद के. कुमारस्वामी अंतरराष्ट्रीय भाषा एवं संस्कृति अध्ययन केंद्र), (विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र), (सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र), साहित्य विद्यापीठ (हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग), (प्रदर्शनकारी कला विभाग), (संस्कृत विभाग), (उर्दू विभाग), (अंग्रेजी विभाग), (मराठी विभाग), संस्कृति विद्यापीठ (डॉ. बाबा साहेब अवेडकर-सिंदो-कान्हू मुर्मू दलित एवं ज. अध्ययन केंद्र), (गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग), (स्त्री अध्ययन विभाग), (डॉ. भदंत आनंद कौ. बौद्ध अध्ययन केंद्र), नेट कोचिंग प्रकोष्ठ, विधि विद्यापीठ, प्लेसमेंट सेल, एवं गांधी हिल कैन्टीन, विभिन्न परियोजना के अंतर्गत क्रय सामग्री
----	---	--	--

उपरोक्त अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने नाम के आगे दिए गए विद्यापीठों/विभागों/ छात्रावासों आदि का भौतिक सत्यापन कर समय पर वित्ताधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध करवाएँ ताकि तदनुसार लेखा परीक्षा के समय वांछनीय जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

संबंधित विद्यापीठों/विभागों/छात्रावासों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, विभाग प्रमुख, छात्रावास अधीक्षक एवं प्रभारियों आदि से अनुरोध है कि अपने विद्यापीठों/विभागों/ छात्रावासों आदि के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अधिकारियों को भौतिक सत्यापन कार्य में सहयोग हेतु निर्दिष्ट करें।


 4/02/19
 (प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)

प्रति-उपर्युक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मी।

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (अध्यक्ष, क्रय समिति) कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. वित्त विभाग
6. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, छात्रावास अधीक्षक, विभाग प्रमुख एवं प्रभारीगण
7. प्रभारी-लीला को कार्यालयादेश एवं वर्ष 31.03.2018 के स्टॉक मिलान का प्रमाण वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित फाइल।